न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 113 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट

1. घमण्डा पुत्र काना का मु
   1 / 1चेतनराम पुत्र घमण्डा
   1 / 2भंवरलाल पुत्र घमण्डा
   1 / 3श्रीमती राऊ पुत्री घमण्डा
   1 / 4श्रीमती लीला पुत्र घमण्डा
   1 / 5श्रीमती मथरादेवी पुत्री घमण्डा
   1 / 6श्रीमती कमला पुत्री घमण्डा
   1 / 7श्रीमती बोदी पुत्री घमण्डा
   1 / 8श्रीमती ओगी पुत्री घमण्डा
   1 / 9श्रीमती छगनी पत्नी घमण्डा
2. जेताराम पुत्र कानाराम जाति जटिया निवासी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर (राज.)

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.बुधाराम पुत्र सोनाराम का.मु.
1 / 1नाथूराम पुत्र बुधाराम
1 / 2राणाराम पुत्र बुधाराम जाति कुम्हार निवासी महाबार तहसील बाड़मेर
2.नारायणसिंह पुत्र शक्तिदानसिंह
3.वीरसिंह पुत्र शक्तिदानसिंह जाति पुरोहित निवासी खेमाबाबा खेजड़ी के पास सफेद आकड़ा मंदिर रोड़ महाबार।
4.पांचाराम पुत्र अन्नाराम जाति मेघवाल निवासी महादेव पेट्रोल पम्प एन.एच.15 बाड़मेर (राज.)
5.हरिशकुमार पुत्र लीलाराम जाति मेघवाल निवासी माल गोदाम रोड़, बजाज ओटो सर्विस, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर राज.।
6.बरकत अली पुत्र बहादुर खां जाति मुसलमान निवासी एन.एच 15 मदरसे के पास कृषि मंडी रोड़, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।
7.मोहनराम पुत्र कानाराम जाति जटिया निवासी जटियों का पुराना बास, वार्ड संख्या 11, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर
8.आलोक सिंहल पुत्र अमरचन्द सिंहल जाति अग्रवाल निवासी बेरियों का बास बाड़मेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर।
9.बृजेशकुमार पुत्र चन्द्रभान जाति ब्राहमण निवासी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर
10.मगीदेवी पत्नी चूनाराम जाति मेघवाल निवासी महावीर नगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

11.रिड़मलसिंह पुत्र स्वरूपसिंह
जाति राजपूत निवासी को–
ऑपरेटिव मार्केटिंग में वरिष्ठ
लिपिक चौहटन रोड़ बाड़मेर
शहर तहसील व जिला बाड़मेर
12.उतमाराम पुत्र घमण्डाराम
जाति जाट निवासी शास्त्री नगर
बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर
13क्रितेश उर्फ किरताराम पुत्र
जालूराम जाति जाट निवासी
खानजी का तला, चौखला
तहसील बायतु जिला बाड़मेर
14.लहरी देवी पत्नी राणाराम
जाति ब्राहमण निवासी बीजराड़
तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 218/2010 बअनवान घमण्डाराम वगै. बनाम बुदाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.06.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 09.10.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा महाबार तहसील व जिला बाड़मेर में अपीलांटगण की पुस्तैनी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 39 रकबा 20.10 बीघा तथा खसरा संख्या 38 रकबा 33.05 बीघा कुल रकबा 53.15 बीघा की आई हुई है जिसका पर्चा लगान अपीलांट के पूर्वज कानाराम के नाम से जारी हुआ था। अपीलांटगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। जिसकी कृषि भूमि धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तातंरण करने एवं इकबाली डिक्री प्राप्त करना, राजीनामा करना आदि प्रतिबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय ने हस्तगत वाद में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व न तो अपीलांटगण को नोटिस देकर सुनवाई का उचित अवसर ही दिया। विधि का सुस्थिापित सिद्धांत है कि रेफरेन्स की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही होती है जिसमें किसी भी पक्ष के हक एवं अधिकार तय नहीं होते है और न ही विवादित बेचानों को निरस्त किया जा सकता है। इसके विपरीत नियमित वाद के अन्दर दोनों पक्षों की तरफ से साक्ष्य सबूत प्राप्त कर विस्तार से सुनवाई कर सभी प्रकार के विवादित बिन्दुओं को तय किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

ऐसी स्थिति में हस्तगत वाद नियमित वाद होने की वजह से अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स की कार्यवाही का हवाला देते हुए वाद को निर्णित करते हुए खारीज करना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में उतरदातागण द्वारा जबाव दावा पेश करने से पूर्व एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी के तहत प्रस्तुत किया था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया उसके पश्चात उतरदातागण ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की थी जो दिनांक 12.02.2016 को खारीज हो गई प्रकरण को पुनःरिमाण्ड करते हुए दोनों पक्षों की साक्ष्य व सबूत लेकर निर्णित करने का आदेश दिया गया। उपरोक्त आदेश के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपीलांटगण को बिना सुने "न्याय आपके द्वार लोक अदालत" में राजस्व नियमों, सिविल प्रक्रियां संहिता के नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दोनों पक्षों की अनुपस्थिति में कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पालना किये बिना एकतरफा पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में उतरदातागण द्वारा जबाव दावा पेश करने से पूर्व एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी के तहत प्रस्तुत किया था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया उसके पश्चात उतरदातागण ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की थी जो दिनांक 12.02.2016 को खारीज हो गई प्रकरण को पुनःरिमाण्ड करते हुए दोनों पक्षों की साक्ष्य व सबूत लेकर निर्णित करने का आदेश दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश की अवहेलना की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अपीलांटगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। जिसकी कृषि भूमि धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तातंरण करने एवं इकबाली डिक्री प्राप्त करना, राजीनामा करना आदि प्रतिबंधित है। वादग्रस्त आराजी के आज हुऐ बेचान अपीलांटगण के हिस्से तक निष्प्रभावी है। रेफरेन्स की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही होती है जिसमें किसी भी पक्ष के हक एवं अधिकार तय नहीं होते है और न ही विवादित बेचानों को निरस्त किया जा सकता है। इसके विपरीत

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नियमित वाद के अन्दर दोनों पक्षों की तरफ से साक्ष्य सबूत प्राप्त कर विस्तार से सुनवाई कर सभी प्रकार के विवादित बिन्दुओं को तय किया जाता है। ऐसी स्थिति में हस्तगत वाद नियमित वाद होने की वजह से अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स की कार्यवाही का हवाला देते हुए वाद को निर्णित करते हुए खारीज करना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपीलांटगण को बिना सुने "न्याय आपके द्वार लोक अदालत" में राजस्व नियमों, सिविल प्रक्रियां संहिता के नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दोनों पक्षों की अनुपस्थिति में कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पालना किये बिना एकतरफा पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांटगण अनुसूचित जाति के गरीब, ग्रामीण, अनपढ व्यक्ति है। अपीलाधीन निर्णय दोनों पक्षों की अनुपस्थिति में कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी पर से अपीलांटगण को बेदखल कर अन्य व्यक्तियों को बेचान करने की धमकियां दी तब दिनांक 01.09.2016 को अपीलांटगण अपने अधिवक्ता से संपर्क कर पूछा तो उन्होंने बताया कि नयाय आपके द्वारा लोक अदालत में गांव में हम लोग नहीं गये और न ही अप्रेल से आज दिन तक दी गई है। अपीलांट चेतनदास ने दिनांक 01.09.2016 को अपीलाधीन निर्णय की नकल मांगी और उसकी नकल मिलने पर अपीलांट को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दोनों पक्षों की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प महाबार में पारित किये गये। अपीलांटगण को कैम्प कोर्ट में उपस्थिति होने बाबत किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। लोक अदालत कैम्प कोर्ट में आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित करना न्यायसंगत होता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेशों की अवहेलना की गई। वादग्रस्त आराजी के हुऐ बेचान अपीलांटगण के हक हिस्से तक शून्य एवं निष्प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 218/2010 बअनवान घमण्डाराम वगै. बनाम बुदाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.06.2016 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

09/10/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

09/10/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner